तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज देवीलाल वगैराह बनाम तहसीलदार धोद मु0नं0 13/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एडमिशन पर सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1685 तन ग्राम भढाढर तहसील धोद जिला सीकर पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध पेश की गई है। हम समझते है कि तहसीलदार धोद जिला सीकर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1685 तन ग्राम भढाढर पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय को प्रदत नही है। ऐसी स्थिति में अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही होने से परिणामतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी को कोई आपत्ति है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है । 9/2/2022 (बाबूलाल गोयल) अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	

Scanned by CamScanner